न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/53

भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम फतेहपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बदरी पुत्र जगन्नाथ आयु 75 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम फतेहपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. कैलाशी बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी श्री किशनगोपाल आयु 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबेटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 22.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतेहपुरा तहसील नैनवा में खाता संख्या 91 की खसरा नम्बर 134 रकबा 0.2589 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त चल आ रहा है । वादी के खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे हैं तथा उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट मरा में रखा जिसमें वादी अपीलान्ट ने अपने वाद को विड्रो करने का निवेदन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा वाद वादी एज विड्रोन खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने बिना रेस्पोडेन्ट की तामील के ही कैम्प में ले जाकर जिस तरह से आर्डर शीट में कथन अंकित कर दावे का फैसला किया है वह पूर्णतया विधि – विरूद्ध है । अपीलान्ट गरीब एवं अनपढ व्यक्ति है वह किसी लिखावट को न तो पढ सकता है और न ही समझ सकता है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज कर उससे कहा था कि तुम्हारे दावे का निर्णय हो गया है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट से हस्ताक्षर करवा लिये । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट बिना पढा लिखा व्यक्ति है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को बताया गया कि तुम्हारे दावे का निर्णय हो गया है इसलिए हस्ताक्षर कर दो तो अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर कर दिये और अपने गॉव चला गया । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.10.2021 को अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर निर्णय प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.10.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 17.12.2021 को नकल प्राप्त होने के उपरान्त यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के अंगूठा निशानी करवा कर विड्रो के आधार पर वाद खारिज कर दिया जबकि परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद में कोई मेरिट पर टिप्पणी नहीं की है । कोई भी व्यक्ति अपने दावे को खारिज नहीं करवाना चाहता जब तक कि उसको विधिक सलाह नहीं दी जाावे । परीक्षण न्यायालय में वादी के विद्वान् अभिभाषक उपस्थित नहीं रहे हैं और न ही वादी को उनके पहचानकर्ता के रूप में पहचान की गई है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण

बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का कथन किया ।

11. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट मरा में रखा गया । कैम्प कोर्ट में स्वयं वादी अपीलान्ट कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुआ तथा आदेशिका में अंकित है कि उसके द्वारा उक्त वाद को विड्रो करने हेतु निवेदन किया जिस पर परीक्षण न्यायालय ने वादी के द्वारा वाद विड्रो किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया । अपीलान्ट ने कैम्प कोर्ट में अपनी उपस्थिति के अंगूठा निशानी किये हैं जो परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.10.2021 से स्पष्ट है । चूँकि वादी अंगूठा निशानी लगाता है । अतः हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों से सहमत हैं तथा यह सिद्ध है कि अपीलान्ट एक अशिक्षित ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है । अंगूठा निशानी की किसी के द्वारा पहचान भी नहीं की गई है, जबकि कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगाया जाता है । अतः इस तरह के प्रकरण में अंगूठा निशानी की पहचान अवश्य होनी चाहिए । वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय में वाद विड्रो किये जाने का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । वादी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है । अतः उपर्युक्त परिस्थितियों से स्पष्ट नहीं होता है कि वादी द्वारा आदेशिका पर जो अंगूठा निशानी लगाई है, वह उपस्थिति के बारे में है अथवा वाद विड्रो करने के बारे में । पत्रावली में वाद विड्रो का कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं है । वादी के अभिभाषक भी कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हैं । वादी से परीक्षण न्यायालय में अंगूठा निशानी करवा कर वाद को विड्रो किया गया है । इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वादी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा